खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

अपील वाद संख्या–20 / 2025

जिला–नवादा

मेसर्स पूनम इन्टरप्राइजेज	...	**वादकर्ता**
	बनाम	
समाहर्त्ता, नवादा एवं अन्य	...	**प्रतिपक्ष**

आदेश

05.02.2026

1. उपस्थापित अभिलेख को देखा। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–28(1) के तहत सफल डाकवक्ता को CTE/CTO प्राप्त होने के अधिकतम 7 (सात) दिनों के अन्दर प्रथम किस्त एवं सभी वैधानिक स्वीकृति के साथ एकरारनामा निष्पादन के लिए जिला समाहर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत करना है।

2. वर्तमान अपील में दिनांक–27.01.2026 को पारित आदेश के भाग की कंडिका–E(3)(iv) में टंकण / लिपीकीय त्रुटिवश ''तीन दिन के बाद अर्थात तिथि (13.09.2025)'' अंकित हो गया है।

3. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–79 के तहत किसी आदेश में पाई गई किसी लिपीकीय अथवा गणितीय गलती और आकस्मिक भूल चूक या लोप के कारण उसमें उत्पन्न किसी भूल का सुधार आदेश की तिथि से दो साल के अन्दर प्राधिकार द्वारा किया जा सकता है।

4. अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–02.02.2026 को समर्पित आवेदन में दिनांक–27.01.2026 के आदेश में 05.02.2026 तक किस्त की राशि का भुगतान करने के लिए निर्धारित समयावधि को घर में शादी समारोह पूर्व निर्धारित रहने एवं राशि जो लगभग 5 करोड़ रूपये होगी की व्यवस्था करने में समय लगने तथा बैंक बंद रहने का उल्लेख करते हुए राशि जमा कर पट्टा निष्पादन हेतु और समय की माँग की गई है।

5. दिनांक–27.01.2026 के पारित आदेश के कार्यकारी अंश के लिपीकीय त्रुटि में सुधार कर संशोधित आदेश इस न्यायालय द्वारा जारी किया जा रहा है। तद्नुसार अपीलकर्त्ता के माँग के संबंध में दिये गये आधार को तार्किक पाते हुए राशि जमा करने की अवधि को संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6 अतः बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–79 के प्रावधानों के आलोक में इस अपील में दिनांक–27.01.2026 को पारित आदेश की कंडिका–E(3)(iv) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :–

"अतएव राजस्व हित में CTO प्राप्ति की तिथि (13.08.2025) से सात दिन के बाद अर्थात तिथि 20.08.2025 से अपील दायर करने की तिथि 12.12.2025 तक प्रथम किस्त की राशि (प्रतिभूति राशि के रूप में अधिक जमा राशि को समायोजित कर) नियमानुसार सूद समेत जमा कर पट्टा निष्पादन कराने की अनुमति दी जाती है। आवेदक द्वारा उक्त राशि का भुगतान दिनांक–20.02.2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा।"

आदेश के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
खान आयुक्त, बिहार

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
खान आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक :– ......920....... /एम0, दिनांकः–......05/02/26.......

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नवादा/ खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, नवादा/मेसर्स पूनम इन्टरप्राइजेज, प्रो0–श्री संतोष कुमार, पिता–देवशरण साव, पता–गोनावाँ रोड, हरनौत, चेरण, जिला–नालन्दा, पिन–803110, ईमेल–poonamenterprises4191@gmail.com/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5.2.26

विधि पदाधिकारी